

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.10/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि.....(अ) .- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, '31 मार्च 2018' अंकों और शब्द के स्थान पर '30 जून, 2018' अंक और शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी ।